

खैये से परेशान है बिहार पुलिस- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर

By : Editor Published On : 4 Aug, 2020 04:35 AM IST



बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर दर्ज प्राथमिकी की जांच में मुंबई पुलिस के खैये ने बिहार पुलिस को परेशानी में डाल दिया है। चार सदस्यीय टीम को पहले से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। टीम को सहयोग देने के लिए भेजे गए आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन करने के बाद यह और भी मुश्किल हो गया। ऐसे में बिहार पुलिस की नजर 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है।

सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती द्वारा राजीव नगर थाना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका दायर की गई है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बिहार पुलिस इस मामले में अगला कदम उठाएगी। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर मौजूद सूची के मुताबिक चक्रवर्ती की मामले को स्थानांतरित करने वाली याचिका पर सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष होगी।

आपको बता दें कि सुशांत की आत्महत्या प्रकरण की जांच करने मुंबई गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को वहां पर रविवार की देर रात जबरन क्वारंटाइन किए जाने से बिहार और महाराष्ट्र के बीच विवाद बढ़ गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस घटना पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सिटी एसपी को क्वारंटाइन करना ठीक नहीं है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है। बिहार के डीजीपी खुद भी वहां के डीजीपी से बात करेंगे।

वहीं, डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेय ने सोमवार को हाईलेवल मीटिंग की। इसमें पुलिस मुख्यालय के तमाम वरिय पदाधिकारियों के अलावा पटना के रेंज आईजी और एसएसपी भी मौजूद थे। बैठक के बाद डीजीपी ने कहा कि पटना सिटी एसपी के साथ जो भी हुआ वह गलत है। क्वारंटाइन के नियमों को हमलोगों ने देखा है। बीएमसी के अधिकारियों ने गाइडलाइन के तहत काम नहीं किया। हमारे पदाधिकारी को क्वारंटाइन से मुक्त रखा जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। बिहार पुलिस ने तय किया है कि विरोध के तौर पर बीएमसी के कमिश्नर को पत्र लिखा जाएगा। आईजी संजय कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है।

बिहार की एसआईटी ने 50 पेज के रिकॉर्ड में जमा किए टोस सबूत

सुशांत मामले की जांच करने बिहार की एसआईटी महज 6 पन्नों की एफआईआर के कागज ही लेकर मुंबई गई थी, लेकिन जांच की यह फाइल मोटी हो गई है। जांच के दौरान लोगों के दर्ज किए गए बयान सुशांत के तीनों बैंकों के अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेजर बैलेंस की कॉपी व यूपीआइ पेमेंट का स्टेटमेंट के कुल 50 पन्नों का रिकॉर्ड तैयार हो चुका है, जिसमें कई टोस सबूत इकट्ठा हैं। सूत्र बताते हैं 13 पन्नों में सुशांत और उनकी अंकिता लोखंडे के बीच वाट्सएप पर हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट है। छह लोगों के रिकॉर्ड

बयान और एक प्रमुख गवाह से टेलीफोन पर हुई बातचीत को भी कागज पर लिखा गया है। PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/रवैये-से-परेज्ञान-है-बिहार-प/>



12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.
